दिनांक 19.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 24/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मीरजापुर/थाना मड़िहान</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 19.12.2024 को थाना मड़िहान व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दांती जंगल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त गोविन्द घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। दो अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मड़िहान पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–गोविन्द निवासी दांती थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना सदर बाजार

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 19.12.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शहबाजनगर फ्लाईओवर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनमोल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनमोल उर्फ सिंकू निवासी मो0खलील शर्की थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

जनपद जौनपुर/थाना मीरगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 स्कार्पियो वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.12.2024 को थाना मीरगंज व थाना बरसठी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बंधवा बाजार बरसठी मोड़ तिराहा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मनीष उर्फ मिन्टू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–सद्दाम 3–चन्द्रशेखर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 स्कार्पियो वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना मीरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनीष उर्फ मिन्टू निवासी कैथा उर्फ टडिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

2—सद्दाम निवासी मथुरापुर कोठवा थाना जलालपुर जनपद जौनपुर।

3—चन्द्रशेखर निवासी कैथा उर्फ टडिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1—नगद रूपये ।

2—01 स्कार्पियो वाहन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना नजीराबाद

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 19.12.2024 को थाना नजीराबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 06 अभियुक्तों 1—रोहित 2—धीरेन्द्र कुमार 3—शिवा कुमार 4—कुलदीप 5—अनिल 6—राजीव को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना नजीराबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित निवासी ब्राहमण गॉव थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात।

2—धीरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम रामसारी थाना घाटमपुर, कानपुर नगर।

3—शिवा कुमार निवासी ग्राम रामसारी थाना घाटमपुर, कानपुर नगर।

4—कुलदीप निवासी रायपुरवा कारवाली गली थाना रायपुरवा, कानपुर नगर मूल निवासी ग्राम रामसारी थाना घाटमपुर, कानपुर नगर।

5—अनिल निवासी प्रतापपुर भौती थाना सचेंडी, कानपुर नगर।

6—राजीव निवासी बन्धनपुरवा थाना बाबूपुरवा , कानपुर नगर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल।

<u>जनपद झाँसी/थाना गुरसरांय</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 18.12.2024 को थाना गुरसरांय पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भसनेह के पास से अभियुक्त अरूण प्रताप उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद झाँसी, जालौन के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गुरसरांय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अरूण प्रताप उर्फ बिट्टू निवासी परकोटा नारायनपुरा कस्बा व थाना गुरसराय जनपद झाँसी।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलो 81 ग्राम अवैध चरस**
- **01 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 18.12.2024 को ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर टीम द्वारा सूचना के आधार पर कलसिया तिराहा से बेहट रोड पर अस्थायी गौशाला के पास थाना बेहट जनपद सहारनपुर से अभियुक्त हसीन उर्फ इद्दू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलो 81 ग्राम अवैध चरस, 01 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना बेहट जनपद सहारनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हसीन उर्फ इद्दू निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलो 81 ग्राम अवैध चरस।

2—01 मोबाइल फोन।

3—नगद रूपये।

4—01 मोटर साइकिल।

जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 40 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ब्रेजा कार बरामद**

दिनांक 18.12.2024 को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कल्याणपुर नहर पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1–मनीष कुमार उर्फ मीनू 2–वसीम 3–अजहरूद्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 40 किलोग्राम अवैध गांजा, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 ब्रेजा कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष कुमार उर्फ मीनू निवासी कालिया गढ़ी थाना मेडिकल कॉलेज जनपद मेरठ।

2–वसीम निवासी राजनगर कस्बा राठोल थाना खेकडा जनपद बागपत।

3–अजहरूद्दीन निवासी बहरामपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 40 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–03 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 ब्रेजा कार।

➢ जनपद इटावा/थाना सैफई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना सैफई पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त रामवीर को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त अवधेश

कुमार को धारा 302/34 भादवि व 3/25 आमर्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 27 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मथुरा/थाना जैत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मथुरा द्वारा थाना जैत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमरचन्द्र को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना को0 करनैलगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 करनैलगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सुरेन्द्र कुमार 2–अरविन्द कुमार को सश्रम आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना कोतवाली नानपारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 70–70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना कोतवाली नानपारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/452/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–लालू 2–बब्लू 3–शब्बू को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 70–70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना को0 करनैलगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 करनैलगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना रूधौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तो को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना रूधौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/149/323/147 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रमेश 2–श्रीराम 3–दुर्गेश 4–रोहित 5–मोहित 6–अभियुक्ता को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————